न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

वाद संख्याः 2019/15 दायर दिनांक 11.01.2019

वादी		प्रतिवादी
1. सेवाराम पुत्र गिदाराम, जाति जाट, निवासी फोगड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :–

1. हीरसिंह बलारा,एडवोकेट व रणजीत बलारा अधिवक्ता वादी की और से।

–:: निर्णय ::– दिनांक 18.01.2019

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 752/266 रकबा 10.12 बीघा वाके दोलतपुरा स्थित है, जिसकी खातेदारी वर्तमान में वादी के नाम से खातेदारी में दर्ज है, जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। तथा खेत की खातेदारी में वादी को ग्राम दोलतपुरा का निवासी सहव से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया है जो सरासर गलत है, क्योंकि वादी ग्राम फोगड़ी का स्थाई निवासी है तथा उसके पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का गांव फोगड़ी दर्ज है। सभी दस्तावेजात की नकले वाद के साथ पेश है, इस गलत अंकन की दुरूस्ती की जानी जरूरी है, अतः वादी को दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है। वादी द्वारा पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल दिनॉक 21.12.2018 को लेने से व वादी के गांव के नाम का गलत अंकन होने से अन्दर हदुद अदालत हाजा बमुकाम फोगड़ी पैदा हुआ, वादी अपने निवास स्थान की दुरूस्ती करवाना चाहता है। जिसका कि वह जायज अधिकारी है और इसलिये दावा बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादी का खतोनी की नकल प्रदर्श –1 है, निर्वाचन कार्ड की नकल प्रदर्श –2 है, आधार कार्ड की नकल प्रदर्श –3 है, परिवार कार्ड की नकल प्रदर्श –4 है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

पृष्ठ संख्या .....2..... लगातार

Scanned by CamScanner

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

वादी वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद दोलतपुरा में स्थित खेत खसरा संख्या 752/266 रकबा 10.12 बीघा वाके दोलतपुरा की खातेदारी में वादी के गांव दोलतपुरा की जगह फोगड़ी दुरूस्त किया जाता है, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2019/15 दायर दिनांक 11.01.2019

वादी		प्रतिवादी
1. सेवाराम पुत्र गिदाराम, जाति जाट, निवासी फोगड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत् 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक :– 18.01.2019

यह मुकद्दमा आज ववास्स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद दोलतपुरा में स्थित खेत खसरा संख्या 752/266 रकबा 10.12 बीघा वाके दोलतपुरा की खातेदारी में वादी के गांव दोलतपुरा की जगह फोगड़ी दुरूस्त किया जाता है, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–..........मुबलिंग............मुबलिंग..........–.............बाबत.............–............. खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–........... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.01.2019 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

ट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक –16–2015/रीडर/2019/88 दिनॉक 28/1/19

प्रेषिति :–

तहसीलदार

डीडवाना।

विषय :– अन्तिम निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट

राजस्व वाद संख्या : 2019/15 निर्णय दिनांक 18.01.2019

वादी		प्रतिवादी
1. सेवाराम पुत्र गिदाराम, जाति जाट, निवासी फोगड़ी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर	बनाम	1. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना

उपरौक्त विषयक वर्णित प्रकरण में अन्तिम निर्णय की छाया प्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर इस न्यायालय में भिजवाये, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हों।

सहायक कलक्टर

डीडवाना

Scanned by CamScanner